रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 1978/फाल्गुन 12, 1899

No. 111] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 1978/PHALGUNA 12, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1978

आदेश

का. आ. 146(अ)/18 एफ ए/18 ए ए/आई. डी. आर. ए./78.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 128 (ई)/18 एफ. ए./18एए/आई डी. आर. ए./73, तारीख 5 मार्च, 1973 द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने व्यक्तियों के एक निकाय को (जिसे इसमें आगे प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), मैसर्स [illegible] के नाम से सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का, 5 मार्च, 1973 से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि [illegible] है कि प्राधिकृत व्यक्ति को पूर्वोक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करते रहना चाहिए, अतः उसने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65), [illegible] (2) के परन्तुक के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय को एक आवेदन किया जिसमें यह प्रार्थना की गई कि यह प्रबन्ध ग्रहण दो वर्ष की और अवधि के लिए बना रहे;

और उक्त उच्च न्यायालय ने तारीख 23 फरवरी, 1978 के अपने आदेश द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का 2 वर्ष की और अवधि के लिए प्रबन्ध करते रहने के लिए अनुज्ञात किया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 क क के साथ पठित धारा 18 च क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत व्यक्ति को निदेश करती है कि वह 5 मार्च, 1978 को और से प्रारम्भ होने वाली दो वर्ष की और अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करता रहे।

[फा. सं. 25/19/72-सी.यू.सी.]

पी. सी. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 3rd March, 1978

ORDER

S. O. 146(E)/18FA/18AA/IDRA/78.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S. O. 128(E)/18FA/18AA/IDRA/73, dated the 5th March, 1973, the Central Government had authorised a body of persons (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs.

Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta, for a period of five years from the 5th March, 1973 ;

And whereas the Central Government, being of the opinion that it is expedient in the interests of the general public that the authorised person should continue to manage the said industrial undertaking after the expiry of the period of five years aforesaid, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period of two years ;

And whereas the said High Court, by its Order dated the 23rd February, 1978, permitted the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of two years ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA, read with section 18AA, of the said Act, the Central Government hereby directs the Authorised Person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of two years commencing on and from the 5th March, 1978.

[File No. 25/19/72-CUC]

P. C. NAYAK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978